



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 489) पटना, सोमवार, 28 मई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 मई 2018

एस0 ओ0 183 दिनांक 28 मई 2018—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक पदार्थ अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मई 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)1522)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 मई 2018

एस० ओ० 183, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)1522)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th May 2018

S.O. 184, Dated 28th May 2018 In exercise of the powers conferred by section 48 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (3) of rule 83 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby notifies the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, as the authority to conduct the examination as per the said sub-rule.

2. This notification shall come into force with effect from 28th May, 2018

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)1522)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 489-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>